and streamlining the procedures include further delicensing of industries; 35% increase in plan outlay on the infrastructure; permitting Foreign Direct Investment (FDI) up to Rs. 1500 crore for power projects through the automatic approval route and time bound clearance for FDI proposals in general.

उद्योगों में महिला उद्यामी

3561. **श्री गोविन्दराम मिरीः** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस समय विभिन्न उद्योगों मे महिला उद्यमियों का कुल प्रतिशत कितना है,

(ख) क्या सरकार ने औद्योगिक एकक स्थापति करने हेतु महिला उद्यमियों के लिए कोई प्रोत्सहान योजना तैयार की है,

(ग) ऐसे कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनमें महिला उद्यमियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, और

(घ) प्रति वर्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों में से महिला आवेदकों की सख्या का अनुपात/संख्या का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त):(क) द्वितीय अखिल भारतीय पंजीकृत लघु औद्योगिक एकक संगणना (उपलब्ध सद्यतन स्थिति) के अनुसार 31.03.1988 को लघु क्षेत्र में महिला उद्यमियों की प्रतिःशतता 7.69ज्% थी। बड़े और मझौले क्षेत्र की महिला उद्यमियों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां । नये औद्योगिक एककों को स्थापित करने के लिए महिला उद्यमियों को प्रदान किये जा रहे अनेक प्रकार के प्रोत्साहन निम्नलिखित हैः-

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिड़बी) द्वारा महिला उद्यमियों के लिए पुनः पुनर्वित पोषण योजना

सिड़बी द्वारा महिला उद्यम निधि योजना के अंतर्गत सुलभ ऋण (सॉफ्ट लोन) के माध्यम से इक्रिटी जैसी सहायता।

सिड़बी ने महिलाओं के लिए कुछ विकासात्मक कार्यकश बनाने हैं जैसे कि महिला विकास निधि, लघु (माइकों) ऋण योजना, महिला उद्यमित्ता विकास कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम और विपणन विकास निधियां।

लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस. आई. एस. आई.) राज्य उद्योग निदेशालय और बैंक महिलाओं के लिए उद्यमियता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन अनन्य रुप से कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.) के अंतर्गत महिलाओं को औद्योगिक एककों व्यवसाय औऱ सेवा उद्यमों की स्थापना करने के लिए तरजीह दी जाती है।

सरककर ने महिलाओं में उद्यमियता का अनन्य रुप से विकास और संवर्धन करने के लिए व्यापार संबद्व उद्यमियता सहायता औऱ विकास (ट्रेड) नामक शीर्षक कार्यक्रम स्वीकृत प्रदान कर दी है।

(घ) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों का अधिकतम संकेन्द्रण आन्ध्र प्रदेश. महाराष्ट्र , मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया गया था।

(ङ) प्रधान मंत्री रोजागार योजना जिसके अंतर्गत उद्योग, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र है, के अंतर्गत वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 की अपेक्षित सूचना निम्र प्रकास हैः-

वर्ष	प्राप्त आवेदनों कीकुल संख्या	महिलाओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या / अनुपात
1995-96	9,60,162	90,333(9.4%)
1996-97	8,90,746	90,847(10.2%)
1997-98	7,69,972	90,036(12.1%)

Integrated InficBstructural Developm*:.

3562. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the scheme of Integirakd Infrastructural Development (IID) (including Technical back up Services) for Small Scale Industries in rural and backward areas is not becoming successful;

(b) if so, the reasons therefor and the remedial steps being taken to make it a raccess;

(c) whether the aim of rural industrialization is to provide employment to all by 2000 AD; and

(d) the steps being taken to achieve this target?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) No, Sir. The progress of Integrated Infrastructural Development (IID Scheme) is quite satisfactory and the Scheme is successful. Till now, Government has sanctioned 40 IID centres in various states and these are at different stages of implementation. Out of the 40 centres sanctioned so far, 8 are at an advanced stage of completion. 8 more proposals for setting up IID Centres are in the pipeline Further, in view of the emphasis on the development of North-East region, the quantum of Central grant for IID Centres in the North-East region has been recently enhanced from Rs. 2 crores to Rs. 4 crores.

(c) and (d) No, Sir. Rural industrialisation alone may not be adequate to provide employment to all. However, the implementation of IID Scheme generates employment during the course of the development work on the IID Centre and thereafter when the units are set up. Besides, Rural Employment Generation Programme (REGP) is also being implemented to create 2 million jobs through the development of Khadi and Village Industries.

रुग्ण लघु उद्योगों को पुनः चालू करने की योजना

3563. **श्री नागमणिः**
चौधरी हरमोहन सिंह यादवः

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रुग्ण लघु उद्योगों को वित्तिय रुप से अर्थक्षम बनाने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है,

(ख) गत दो वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान इन उद्योगों को केन्द्रीय सरकार द्वरा प्रति वर्ष कितनी कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और

(ग) इस संबंध में किस हद तक सफलता मिली है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) सरकार ने राज्य रुग्ण लघु उद्योगों को आर्थिक रुप से सक्षम बनाने के लिए समय समय पर कई उपाय किये हैं। इन उपायों में (1) लघु उद्योग सेवा संस्थाओं द्वारा अर्थक्षम परियोजनाओं के चयन में उद्यमियों को दिशा निर्देश, (2) उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण, (3) निरीशक्षण, दिशानिर्देश, कार्यशाला उत्पादों की जांच, टूल रुम तथा उत्पाद- सह प्रक्रिया विकास सुविधाओं के जरिये तकनीकी सहायता, (4) विशिष्टिकृत बैंक शाखाओं के जरिये लघु औद्योगिक एककों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सहित लघु औद्योगिक एककों की ऋण आवश्यकताओं की पर्याप्त रुप से पूर्ति करने के लिए दिशा निर्देश (5) मूल्य एवं क्रय अधिमानत के जरिये तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य लघु उद्योग विकास निगम के माध्यम से विपणन सहायता (6) राज्य सरकारों द्वारा विकिसत औद्योगिक भूखंड़ों, शेडों आदि के जरिये अवसंरचानात्मक सहायता (7) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडनी) के जरिये पुनर्वित तथा इक्विटी सहायता शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने संस्थागत ऋणों की पर्याप्त रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्री पी. आर. नायक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। एस समिति ने सितंबर, 1992 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ साथ रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों का पता लगाने, उन की पुनर्स्थापना के लिए विभिन्न उपायों की संस्तुति की है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को अर्थक्षम बनाने की दिशा में कई उपाय किये हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामलि हैः-

भारतीय रिजर्व बैंक ने 17.4.93 को सभी वाणिज्यिक बैंकों को नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संशोधित परिभाषा पर सलाह दी।

पुनर्वास हेतु (भारतीय रिजर्व बैंक का दिनांक 17 अप्रैल 1993 का आदेश आर.पी. सी. डी. संख्या पी एल एन एस बी सी 99/06.02.31/92-93) मौजूदा न्यूनतम ऋण दर से 1.5 से 3.0% तक कम दर पर कार्यशील पूंजी आवधिक ऋण के लिए कम ब्याज दर।